तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/5/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प बूढादीत में पेश हुई। वकील वादनी उपस्थित। प्रकरण में जवाब सरकार पेश हुआ, जो शा0 मि0 किया गया। वकील वादनी को मजमें आम मे सुना गया, वकील वादनी ने कथन किये कि ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 11 पर अंकित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम कंवरीबाई के स्थान पर नंद कंवर दर्ज किया जावें। वादनी द्वारा वांछित रिलीफ के सम्बन्ध में जवाब सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी में वादनी का नाम कंवरीबाई अंकित है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात् मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में वादनी का नाम नंद कंवरी अंकित है। ग्राम पंचायत बूढादीत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कंवरीबाई व नंद कंवरी एक ही महिला के नाम होना जाहिर किया गया है। वादनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र के आधार पर वाद वादनी स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 111/1, 113, 138, 1029 कुल किता 4 रकबा 2.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम कंवरी बाई पुत्री देवा के स्थान पर नंद कंवरी उर्फ कंवरी बाई पुत्र देवा दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। 31/5/18	

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बूढादीत

उनवान

नंद कंवर उर्फ कंवरी बाई पुत्री देवा पत्नी लाडली लाल जाति कुम्हार निवासी बूढादीत हाल निवासी मोहन निवास, कॉलोनी, स्टेशन रोड, कोटा जिला कोटा

–वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 24 / 17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब श्री भारत शर्मा एडवोकेट मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 111 / 1, 113, 138, 1029 कुल किता 4 रकबा 2.46 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित का नाम कंवरी बाई पुत्री देवा के स्थान पर नंद कंवर उर्फ कंवरी बाई पुत्री देवा दर्ज किया जावें।" तद्नुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प बूढादीत में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)

सहायक कलक्टर,

दीगोद

Scanned by CamScanner